न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) 3

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 टी0आई0 –33/2014

तारीख रजू – 24.07.2014

उनवान

महेश पुत्र कंचन जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

–प्रार्थी

विरूद्ध

1. कंचन पुत्र मेडू जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. तहसीलदार तहसील टोडाभीम
3. उपपंजीयक कार्यालय तहसील टोडाभीम

–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट – प्रार्थी

विपक्षीगण खिलाफ एकतरफा कार्यवाही

निर्णय **दिनांक :– 09.10.2015**

संक्षेप्त मे प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0 नं0 386 रकवा 0.06 हेक्टयर, 387 रकवा 0.06 हेक्टयर, 503 रकवा 0.15 हेक्टयर, 533/2868 रकवा 0.26 हेक्टयर, 551 रकवा 0.20 हेक्टयर, 1366 रकवा 0.15 हेक्टयर, 374 रकवा 0.36 हेक्टयर, 1375 रकवा 0.21 हेक्टयर, 1380 रकवा 0.24 हेक्टयर, 1914 रकवा 0.10 हेक्टयर, 1947 रकवा 0.08 हेक्टयर, 2049 रकवा 0.19 हेक्टयर, 2176 रकवा 0.18 हेक्टयर, 2286 रकवा 0.15 हेक्टयर, 2356/2864 रकवा 0.10 हेक्टयर कुल किता 15 कुल रकवा 2.49 हेक्टयर ग्राम शेखपुरा तहसील टोडाभीम मे स्थित है। हॉल रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे इस भूमि की खातेदारी अप्रार्थी नं0 1 कंचन के नाम दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है जो अपने बाबा (पितामह) मेडू पुत्र देवपाल से विरासत मे मिली है पूर्व मे इस भूमि की खातेदारी प्रार्थी के बाबा (पितामह) मेडू पुत्र देवपाल के नाम थी जो जमाबंदी संवत 2030 से 2033 तक मे दर्ज है इनकी मुत्यु के बाद यह भूमि विरासत के आधार पर ही मेडू के तीन पुत्र पृथ्वी, कंचन, हीरा के नाम दर्ज हो गयी है तथा इन तीनो के मध्य भूमि का बटवारा होकर भूमि खसरा नं0 347, 1274, 1275, 129, 167, 391, 422, 423, 838, 1412, 1436, 1505, 1556, 1706 कंचन के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गयी जो जमाबंदी संवत 2038 से 2041 तक की जमाबंदी मे दर्ज है चूकि यह भूमि विरासत की भूमि है जिसमे प्रार्थी का वाईवर्थ अधिकार है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि को मौके पर काश्त कर रहा है तथा खातेदार काश्तकार है

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

तथा अपने नाम कानूनन खातेदारी कराने का हकदार है। प्रार्थी के पिता कंचन के तीन पुत्र महेश, लौकेश, महेन्द्र व पुत्री बबली है इस प्रकार भूमि वर्णित मद नं0 2 प्रार्थनापत्र मे प्रार्थी हिस्सा 1/4 का खातेदार है चूकि प्रार्थी सीधा–सादा व गरीब आदमी है तथा बाहर मजदूरी करता है तथा प्रार्थी के पिता की नियत मे बेईमानी है, उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन विकय करना चाहता है तथा प्रार्थी के हिस्से से महरूम रखना चाहता है जबकि प्रार्थी को भूमि विकय करने का कोई अधिकार किसी प्रकार का नही है, प्रार्थी कल दिनांक 21.07.2014 को अपने हिस्से की भूमि की देखभाल कर रहा था कि अप्रार्थी कंचन ने कहा कि तेरा इस जमीन मे कोई हिस्सा नही है मैं इस जमीन को विकय करूंगा तुझे एक विस्वा भी जमीन नही दूंगा तेरी मर्जी हो जो कर इस पर प्रार्थी ने उनको काफी समझाया लेकिन वे नही माने और रहन विकय करने की धमकी दी इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस साबित है तथा सुबिधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है, यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नही है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है तथा रिलिफ चाही है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि ख0 नं0 386 रकवा 0.06 हेक्टयर, 387 रकवा 0.06 हेक्टयर, 503 रकवा 0.15 हेक्टयर, 533/2868 रकवा 0.26 हेक्टयर, 551 रकवा 0.20 हेक्टयर, 1366 रकवा 0.15 हेक्टयर, 374 रकवा 0.36 हेक्टयर, 1375 रकवा 0.21 हेक्टयर, 1380 रकवा 0.24 हेक्टयर, 1914 रकवा 0.10 हेक्टयर, 1947 रकवा 0.08 हेक्टयर, 2049 रकवा 0.19 हेक्टयर, 2176 रकवा 0.18 हेक्टयर, 2286 रकवा 0.15 हेक्टयर, 2356/2864 रकवा 0.10 हेक्टयर कुल किता 15 कुल रकवा 2.49 हेक्टयर ग्राम शेखपुरा तहसील टोडाभीम मे अप्रार्थी नं0 1 को पाबंद किया जावे कि वे उक्त भूमि के संबंध मे किसी प्रकार का रहन विकय आदि नही करे तथा रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे तथा अप्रार्थी नं0 2 रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे तथा अप्रार्थी नं0 3 रहन विकय आदि के संबंध मे किसी प्रकार के दस्तावेजो को रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध नही करे। प्रार्थी ने अपने दस्तावेजी सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073, नकल मिलान क्षेत्रफल 2043 से 2062, नकल जमाबंदी 2038 से 2041 व 2030 से 2033 पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस विपक्षीगण जारी किये गये। विपक्षीगण सं0 1 की तरफ से राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा जबाब को समय चाहा बाद मे दिनांक 01.09.2015 को विपक्षी के वकील ने ना तो जबाब पेश किया नाहि वे उपस्थित हुये उनके खिलाफ दिंनाक 01.09.2015 को एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी नं0 2, 3 के खिलाफ भी एकतरफा कार्यवाही के आदेश है।

वकील प्रार्थी ने बहस मे अपने मे अपने प्रार्थनापत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि मुताबिक प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अनुसार अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र मे दर्ज भूमि पैत्रिक भूमि है जो प्रार्थी के बाबा मेडू पुत्र देवपाल के नाम दर्ज है इससे स्पष्ट है कि यह भूमि पैत्रिक भूमि है तथा प्रार्थी महेश भी हित रखता है प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

Scanned by CamScanner

5

अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर पांबद किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि ख0 नं0 386 रकवा 0.06 हेक्टयर, 387 रकवा 0.06 हेक्टयर, 503 रकवा 0.15 हेक्टयर, 533/2868 रकवा 0.26 हेक्टयर, 551 रकवा 0.20 हेक्टयर, 1366 रकवा 0.15 हेक्टयर, 374 रकवा 0.36 हेक्टयर, 1375 रकवा 0.21 हेक्टयर, 1380 रकवा 0.24 हेक्टयर, 1914 रकवा 0.10 हेक्टयर, 1947 रकवा 0.08 हेक्टयर, 2049 रकवा 0.19 हेक्टयर, 2176 रकवा 0.18 हेक्टयर, 2286 रकवा 0.15 हेक्टयर, 2356/2864 रकवा 0.10 हेक्टयर कुल किता 15 कुल रकवा 2.49 हेक्टयर ग्राम शेखपुरा तहसील टोडाभीम के संबंध मे अप्रार्थी नं0 1 किसी प्रकार का रहन विक्रय आदि नही करे तथा रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे तथा अप्रार्थी नं0 2 रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे तथा अप्रार्थी नं0 3 रहन विक्रय आदि के संबंध मे किसी प्रकार के दस्तावेजो को रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध नही करे।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

Scanned by CamScanner